सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

महात्मा गॉधी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय जमशेदपुर द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदक को सूचना प्रदान की जाती है। इसके लिए जन सूचना पदाधिकारी, सहायक जन सूचना पदाधिकारी तथा प्रथम अपील के लिए प्रथम अपीलीय पदाधिकारी नामित किया गया है। इसकी विस्तृत जानकारी इस महाविद्यालय के वेबसाईट पर उपलब्ध है।

परिभाषायें :–

धारा 2 (च) : **"सूचना"** से किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, शापन, ई–मेल, मत–सलाह, प्रेसविज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लागबुक, संविदा, रिपोर्ट कागज पत्र, नमुने, मॉडल, आंकडो संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुॅच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री अभिप्रेत है,

2 (छ) : **"विहित"** से, यथास्थिति, समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियम के अधीन वनाए गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है,

2 (ज) : **"लोक प्राधिकारी"**

(क) संविधान द्वारा या उसके अधीन.,

(ख) संसद द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा.,

(ग) राज्य विधान मंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा.,

(घ) समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा, स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत,

(i) कोई ऐसा निकाई है जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित है,

(ii) कोई ऐसा गैरसरकारी संगठन है जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा विपपोषित है।

2 (झ) : **"अभिलेख"** में निम्नलिखित सम्मिलित है :–

(क) कोई दस्तावेज पाण्डुलिपि और फाइल.,

(ख) किसी दस्तावेज को कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिशे और प्रतिकृति प्रति,

(ग) कोई माइक्रोफिल्म में सन्निविष्ट प्रतिबिम्ब या प्रतिबिम्बों का पुनरूत्पादन (चाहे वर्धित रूप में हो या न हो) और,

(घ) किसी कम्प्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री.,

2 (ज) : **"सूचना का अधिकार"** से इस अधिनियम के अधीन पंहुच योग्य सूचना का जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है।

(i) कृति दस्तावेजों, अभिलेखों का निरिक्षण.,

(ii) दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पण, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना।

(iii) समग्री के प्रमाणित नमुने लेना।

(iv) डिस्केट फलापी, टेप, विडियो केसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्टोनिक रीति में प्रिन्ट आउट के माध्यम से सूचना को जहॉ सूचना किसी कम्प्युटर या किसी अन्य युक्ति में भंडारित है, अभिप्राप्त करना।

2 (ढ) : **"पर व्यक्ति"** से सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिक से भिन्न कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत कोई लोक प्राधिकारी भी है।

23/5/16

सूचना प्राप्त करने की संक्षिप्त जानकारी

01. सूचना को प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ ही शासन द्वारा निर्धारित शुल्क 10 रूपये का प्रावधान है। यह राशि नगद, डिमांड ड्राफ्ट बैंकर चेक के रूप के अथावा चालान द्वारा दी जा सकती है।

ए–4 ए–3 साइज के पृष्ठ की जानकारी देने पर प्रति पृष्ठ 2 रूपये का दर निर्धारित किया गया है। बडी माप की जानकारी होने पर वास्तविक व्यय राशि देय होगा। सी0डी0 में जानकारी शुल्क हेतु रू0 50/ निर्धारित किया गया है। यदि जानकारी कम्पयुटर में रखा गया है और आवेदक सी0डी0 देते है तो जानकारी मुफ्त मिलेगी। नमुना अथवा माडल के लिए लागत, अभिलेख का निरीक्षण के पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नही, उसके पश्चात पत्येक घंटे के लिए रू0 5/– का शुल्क लगेगा। गरीबी रेखा के नीचे वाले व्यक्ति (BPL) को सूचना मुफ्त प्रदान करने का प्रावधान है।

02. आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात 30 दिनों के भीतर सूचना प्रदान की जाती है।

03. आवेदन करने के 30 दिन (डाक बगैरह का समय मिलाकर 45 दिन) में यदि जानकारी नही मिलती है तो जन सूचना अधिकारी के वरिष्ठ अधिकारी से अपील कर सकते है।

04. यदि अनुरोध अस्वीकृत किया जा रहा है तो उसका कारण वताया जायेगा कि अधिनियम में प्रावधानित किन कारणों से आवेदन अस्वीकार किया जा रहा है।

05. यदि आवेदक द्वारा आवेदन मांगी गई सूचना दुसरे विभाग/लोक प्राधिकरण से संबंधित है तो संबंधित विभाग लोक प्राधिकरण इसकी सूचना आवेदक को देते हुए, 5 दिनों के भीतर संबंधित दुसरे लोक प्राधिकरण को उक्त आवेदन को स्थानांतरित करना होगा।

06. यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी लोक प्राधिकरण के समक्ष तीसरे पक्षकार के संबंध के सूचना मांगी गई है तो जन सूचना पदाधिकारी तीसरे पक्ष को आहुत कर उसे सूचित करेगा तथा उससे अनुमति प्राप्त करेगा तथा उस आधार पर निर्णय लिया जायेगा कि सूचना प्रकट की छूट दी जाय या नहीं। तीसरे पक्षाकार को जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया जायेगा तथा सूचना प्रदान करने की अवधि 40 दिनों के भीतर की होगी।

नोट :– सूचना अधिकार संबंधी परिभाषायें तथा सक्षिप्त जानकारी सूचना अधिकार अधिनियम 2005 पर प्रकाशित पुस्तक पर आधारित है।

23/5/16